

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल**

क्रमांक /

/स्था / नगानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

/// कार्यालयीन आदेश ///

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री व्ही.के.गौर, सहा ग्रेड-1 जिला कार्या, छिंदवाड़ा	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	11.03.2017
2.	श्री पी.के.जोशी, सहा.ग्रेड-1 जिला कार्या, उज्जैन(सेवानिवृत्त)	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	07.07.2017
3.	श्री दिनेश चौहान, सहा.ग्रेड-1 जिला कार्या, देवास	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	02.11.2017
4.	श्री एम.एम.व्यास, सहा.ग्रेड-1 जिला कार्या, उज्जैन	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	01.12.2017
5.	श्रीमती सुलभा जोशी, सहा.ग्रेड-1, मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	25.01.2018

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र. /99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

**संचालक**  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1409/स्था/नग्रानि/2020  
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 6-3-2020

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा/देवास।
4. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
5. कोषालय अधिकारी, उज्जैन/छिंदवाड़ा/देवास।
6. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
7. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
8. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
9. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था / नगानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री अनिरुद्ध रावत, दफतरी, जिला कार्या भोपाल	5200-20200+1900 लेवल 4 (19500-62000)	5200-20200+2100 लेवल 5 (22100-70000)	21.01.2018

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र. /99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1386 / स्था / नगानि / 2020

भोपाल, दिनांक

6-3-2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल।
3. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / /स्था / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 2020  
// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री मनोज मार्टण्ड, नीलमुद्रक, जिला कार्या भोपाल	5200-20200+2400 लेवल 6 (25300-80500)	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	11.09.2016

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र. /99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

/

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1392 /स्था / नग्रानि / 2020  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 6-3-2020

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल।
3. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / /स्था / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 2020  
// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री सुनील सिंह, सहा.ग्रेड-2 मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	21.10.2019

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र. /99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

भोपाल, दिनांक 6/3/2020

पृ.क्रमांक / 1395 /स्था / नग्रानि / 2020  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था / नगानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री गंगा सिंह नेगी, सहा.ग्रेड-3 मुख्यालय भोपाल (स्वर्गवास 16.12.2019)	5200-20200+1900 लेवल 4 (19500-62000)	5200-20200+2400 लेवल 6 (25300-80500)	10.01.2019

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र. /99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक /  
प्रतिलिपि :-

1397

/स्था / नगानि / 2020

भोपाल, दिनांक

6/3/2020

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारी सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री अंसार हुसैन, सहायक मानचित्रकार, मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2400 लेवल 6 (25300-80500)	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	05.01.2018

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

भोपाल, दिनांक

6/3/2020

पृ.क्रमांक / 1399 /स्था / नग्रानि / 2020  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारी सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था/नग्नानि/2020

भोपाल,दिनांक

2020

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती विनीता एम.बेसरा, अन्वेषक, मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	15.10.2019

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र. /99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1401 /स्था/नग्नानि/2020  
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक

6/3/2020

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारी सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / / स्था / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री संजीव कुमार पटेल, नीलमुद्रक, जिला कार्या जबलपुर	5200-20200+1900 लेवल 4 (19500-62000)	5200-20200+2400 लेवल 6 (25300-80500)	17.07.2019
2.	श्री मो नजीर खान, नीलमुद्रक मुख्यालय भोपाल	5200-20200+1900 लेवल 4 (19500-62000)	5200-20200+2400 लेवल 6 (25300-80500)	27.07.2019

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1403 / स्था / नग्रानि / 2020  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक

6/3/2020

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर।
3. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल/जिला कोषालय जबलपुर।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
6. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
7. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती साधना पंडित, स्टेनोटाइपिस्ट, मुख्यालय भोपाल	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	19.09.2015

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र. /99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

भोपाल, दिनांक

6/3/2020

पृ.क्रमांक / 1405 /स्था / नग्रानि / 2020  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / / स्था / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री कार्तिक शेंडे, स्टोरकीपर, जिला कार्या बैतूल	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	07.09.2019
2.	श्री अजय कुमार दीन, स्टोरकीपर, जिला कार्या रीवा	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	18.09.2019

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1407 / स्था / नग्रानि / 2020  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक

6/3/2020

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल।
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रीवा/बैतूल।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
6. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
7. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / / स्था / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री बदरुददीन, सहा. ग्रेड-2	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल 8 (32800-103600)	12.04.2019

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

6-3-2020

पृ.क्रमांक / 1376 / स्था / नग्रानि / 2020  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय भोपाल।
3. अवर सचिव(स्थापना), म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री बदरुददीन, सहायक ग्रेड-2(निज सहायक माननीय मंत्री वित्त म.प्र.शासन) को सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / /स्था / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री मनोरंजन यादव, चैनमेन जिला कार्या रीवा	5200-20200+1800 लेवल 3 (18000-56900)	5200-20200+1900 लेवल 4 (19500-62000)	01.02.2018
2.	श्री दौलतराम देशवाली, चैनमेन मुख्यालय भोपाल	5200-20200+1800 लेवल 3 (18000-56900)	5200-20200+1900 लेवल 4 (19500-62000)	05.03.2018

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1374 /स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक 6-3-2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा।
3. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल/जिला कोषालय रीवा।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
6. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
7. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था/नग्रानि/2020

भोपाल,दिनांक

2020

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती संगीता देशपांडे, भृत्य मुख्यालय भोपाल	4440-7440+1400 लेवल 2 (16100-50900)	5200-20200+1800 लेवल 3 (18000-56900)	01.11.2017
2.	श्री भगवान सिंह मिलाला, भृत्य जिला कार्या देवास	4440-7440+1400 लेवल 2 (16100-50900)	5200-20200+1800 लेवल 3 (18000-56900)	08.12.2017
3.	श्री खुबीलाल, भृत्य जिला कार्या होशंगाबाद	4440-7440+1400 लेवल 2 (16100-50900)	5200-20200+1800 लेवल 3 (18000-56900)	05.05.2018

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा। इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1380/स्था/नग्रानि/2020

भोपाल,दिनांक

6-3-2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास/होशंगाबाद।
3. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल/जिला कोषालय देवास/होशंगाबाद।
4. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
6. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
7. वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री अबर सिंह वास्करले, भृत्य जिला कार्या नीमच	4440-7440+1300 लेवल 1 (15500-49000)	4440-7440+1400 लेवल 2 (16100-50900)	09.03.2019
2.	श्री पवनकुमार मण्डलोई, भृत्य जिला कार्या खरगौन	4440-7440+1300 लेवल 1 (15500-49000)	4440-7440+1400 लेवल 2 (16100-50900)	26.02.2019

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा। इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1378 /स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

6-3-2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगौन।
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय नीमच/खरगौन।
5. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
6. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
7. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री भूपेन्द्र सिंह, चैनमेन मुख्यालय भोपाल	5200-20200+1400 लेवल 2 (16100-50900)	5200-20200+1800 लेवल 3 (18000-56900)	05.05.2018

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

/

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1382 /स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

6-3 2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री संदीप अहिरे, दफतरी, मुख्यालय भोपाल	5200-20200+1400 लेवल 2 (16100-50900)	5200-20200+1800 लेवल 3 (18000-56900)	03.08.2019

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र. /99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा। इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1384 /स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

6-8-2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

कार्यालयीन आदेश

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री अम्बादास ढोके, भृत्य मुख्यालय भोपाल	5200-20200+1800 लेवल 3 (18000-56900)	5200-20200+1900 लेवल 4 (19500-62000)	27.01.2018

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

भोपाल, दिनांक

6-3-2020

पृ.क्रमांक /  
प्रतिलिपि :-

1388

/स्था / नग्रानि / 2020

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. कोषालय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक /

/स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शासकीय सेवक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री उमान सिंह गहलोट, नीलमुद्रक, जिला कार्या देवास	5200-20200+2800 लेवल 7 (28700-91300)	9300-34800+3200 लेवल .8 (32800-103600)	22.09.2019

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/ नियम-4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 1390 / स्था / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक

6-3-2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास।
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय देवास।
4. संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ।
5. सेवापुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
6. वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल